दिनांक: 10 अक्टूबर 2024

प्रेस नोट: एनपीसीएल के लिए टैरिफ आदेश, वित्तीय वर्ष 2024-25

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने एनपीसीएल के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिजली टैरिफ दरें निर्धारित की

सभी उपभोक्ता श्रेणियों के लिए टैरिफ दरें लगातार पाँचवें वर्ष अपरिवर्तित रखी

एनपीसीएल के उपभोक्ताओं को 10% नियामक छूट मिलती रहेगी

पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों के ईवी टैरिफ दरों को राज्य सड़क परिवहन ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर भी लागू किया गया

ग्रीन एनर्जी टैरिफ को प्रति यूनिट ₹0.44 से घटाकर ₹0.36 किया गया

क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) को मेट्रो रेल सेवाओं के लिए लागू दरों पर चार्ज किया जाएगा

आईटी और आईटीईएस उद्योगों के लिए औद्योगिक टैरिफ श्रेणी की नीति के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान बनाया गया

3-5 किलोवाट का अनुबंधित लोड रखने वाले उपभोक्ताओं को 3-फेज कनेक्शन के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाया गया

उपभोक्ता की पसंद के अनुसार ई-मेल या व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से बिलों की डिलीवरी की अनुमति दी गई

बिलिंग जानकारी का खुलासा न करने पर सिंगल पॉइंट कनेक्शन धारकों के लिए प्रक्रिया और दंड निर्धारित किया गया

टाइम ऑफ द डे टैरिफ के लिए समय स्लॉट में बदलाव किया गया

एनपीसीएल के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के ट्रू-अप की याचिका, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एपीआर, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एआरआर और टैरिफ को आयोग ने 10 जून, 2024 की अपनी स्वीकृति आदेश के माध्यम से स्वीकार किया। इस मामले पर सार्वजनिक सुनवाई 19 जुलाई, 2024 को आयोजित की गई। राज्य सलाहकार समिति की बैठक के दौरान हुए सार्वजनिक टिप्पणियों और चर्चाओं के आधार पर, आयोग ने टैरिफ फाइलिंग का विश्लेषण किया और 10 अक्टूबर, 2024 को अपना टैरिफ आदेश जारी किया।

MYT विनियम, 2019 को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने एनपीसीएल के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के ट्रू-अप में निम्नलिखित को स्वीकृत किया है:

विवरण	एनपीसीएल	
	दावा किया	स्वीकृत
वितरण हानि (%)	7.63%	7.63%

एनपीसीएल परिधि पर विद्युत खरीद (एमयू)	3,107.61	3,107.61
शुद्ध एआरआर (₹ करोड़)	2,564.05	2,270.52
मौजूदा टैरिफ से राजस्व (₹ करोड़)	2,207.78	2,207.78

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ARR:

MYT विनियम, 2019 को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने एनपीसीएल के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के ARR में निम्नलिखित को स्वीकृत किया है:

विवरण	एनपीसीएल	
	दावा किया	स्वीकृत
वितरण हानि (%)	7.57%	7.57%
एनपीसीएल परिधि पर विद्युत खरीद (एमयू)	4,028.74	4,007.46
शुद्ध एआरआर (₹ करोड़)	2,965.64	2,675.75
मौजूदा टैरिफ से राजस्व (₹ करोड़)	2,672.47	2,725.66

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में एनपीसीएल के पास ₹1166 करोड़ की संचयी नियामक अधिशेष (cumulative regulatory surplus) की स्थिति निर्धारित की है। तदनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में टैरिफ दरों/नियामक छूट में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं किया गया है।

<u>वित्तीय वर्ष 2024-25 के टैरिफ आदेश की मुख्य विशेषताएँ:</u>

एनपीसीएल के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के टैरिफ आदेश की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

i. किसी भी उपभोक्ता श्रेणी के लिए देय टैरिफ में कोई वृद्धि नहीं की गई है।
ii. एनपीसीएल के उपभोक्ताओं को 10% नियामक छूट मिलती रहेगी।
iii. ओपन एक्सेस को बढ़ावा देने के लिए, क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज (सीएसएस) को वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्धारित सीएसएस पर सीमित कर दिया गया है।
iv. ग्रीन टैरिफ को वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹0.44/यूनिट से घटाकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹0.36/यूनिट कर दिया गया है।
v. अधिकांश उपभोक्ता श्रेणियाँ अपने मौजूदा कनेक्शनों का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग के लिए कर सकती हैं। सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए लागू एकल भाग टैरिफ का लाभ उठाने के लिए शहरी परिवहन विभाग के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है।
vi. मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों/कालोनियों में सिंगल प्वाइंट कनेक्शन धारकों द्वारा अधिक शुल्क वसूलने की शिकायतों को दूर करने और पारदर्शिता लाने के लिए, आयोग ने बिलिंग जानकारी के प्रकटीकरण के लिए प्रक्रियात्मक प्रावधान किए हैं और सिंगल प्वाइंट फ्रैंचाइजी पर निर्देशों के अनुपालन न करने की स्थिति में दंडात्मक प्रावधान पेश किए हैं।
vii. ToD स्लॉट्स को लागू श्रेणियों (एलएमवी-6 और एचवी-2)के लिए संशोधित औसत भार वक्रों (Average Load Curves) को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया गया है
viii. आयोग ने 3 किलोवाट से 5 किलोवाट के स्वीकृत लोड वाले उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने के लिए 3-फेज कनेक्शन लेने की अनुमति दी है।

ix. यह स्पष्ट किया गया है कि बिलों की डिलीवरी ईमेल, व्हाट्सएप या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से की जा सकती है, बशर्ते उपभोक्ताओं को पूरी बिलिंग जानकारी प्रदान की जाए और बिल किसी अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो।

x. आयोग ने स्मार्ट मीटरों के डिस्कनेक्शन और पुन: कनेक्शन से संबंधित ₹50 के शुल्क को समाप्त कर दिया है।

xi. बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 के अनुसार, यदि किसी वित्तीय वर्ष में अधिकतम मांग स्वीकृत भार से कम से कम तीन बार अधिक हो जाती है, तो स्वीकृत भार को अगले वित्तीय वर्ष के पहले बिलिंग चक्र से लाइसेंसधारी द्वारा स्वचालित रूप से बढ़ाया जा सकता है और इस संशोधन का आधार उपभोक्ता के साथ साझा किया जाएगा।

xii. सरकार ने कुछ श्रेणियों की आईटी/आईटीईएस उद्योगों को एचवी-2 औद्योगिक श्रेणी की दरों का लाभ देने के लिए एक नीति निर्णय लिया है। सरकार के नीति निर्णय को लागू करने के लिए एक सक्षम प्रावधान बनाया गया है।

आयोग ने समेकित अंतर / (अधिशेष) स्थिति को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 की दर अनुसूची को स्वीकृति प्रदान की है।

टैरिफ आदेश को www.uperc.org पर अपलोड किया गया है।

शैलेन्द्र गौर
सचिव

PRESS NOTE OF TARIFF ORDER FOR NPCL FOR FY 2024-25

Dated: October 10, 2024

UPERC finalises Electricity Tariff Rates for NPCL for FY 2024-25

Keeps the Tariff rates payable by all consumer categories unchanged for 5th consecutive year

Consumers of NPCL will continue to get a 10% Regulatory Discount.

Makes EV Tariff rates of Public Charging Stations applicable to State Road Transport EV charging stations also

Reduces Green Energy Tariff from Rs 0.44 per Unit to Rs 0.36 per Unit

Regional Rapid Transit System (RRTS) to be charged same Tariff as applicable to Metro Rail Services

Enabling provision created for implementing policy decision of GoUP regarding applicability of industrial tariff category for IT&ITES industries as per policy

Consumers with contracted load from 3-5 KW enabled to apply for 3-phase connection

Clarifies that delivery of Bills is permissible through Electronic means including e-mail or whatsapp based on consumer choice

Prescribes procedure and penalties for non disclosure of billing information by single point connection holders to residents

Aligns provisions for automatic revision of sanctioned load by Licensee with Electricity Rights of Consumers) Rules, 2020

Changes time slots for applicability of Time of the Day Tariff

The Petition of True-up of FY 2022-23, Annual Performance Review (APR) for FY 2023-24, Annual Revenue Requirement (ARR) and Tariff for FY 2024-25 of NPCL was admitted by the Commission vide its Admittance Order dated June 10, 2024. The Public Hearing on the matter was held on July 19, 2024. Based on public comments and discussions held during the State Advisory Committee meeting, the Commission analysed the Tariff filing and issued its Tariff Order on October 10, 2024.

True up for FY 2022-23

Keeping in view the MYT Regulations, 2019, the Commission in the True-up for FY 2022-23 for NPCL has approved the following:

Particulars	NPCL	
	Claimed	Approved
Distribution Loss (%)	7.63%	7.63%
Power Purchase at NPCL periphery (MUs)	3,107.61	3,107.61
Net ARR (Rs. Cr.)	2,564.05	2,270.52
Revenue from Existing Tariff (Rs. Cr.)	2,207.78	2,207.78

ARR for FY 2024-25

Keeping in view the MYT Regulations, 2019, the Commission in the ARR for FY 2024-25 for NPCL has approved the following:

Particulars	NPCL	
	Claimed	Approved
Distribution Loss (%)	7.57%	7.57%
Power Purchase at NPCL periphery (MUs)	4,028.74	4,007.46
Net ARR (Rs. Cr.)	2,965.64	2,675.75
Revenue from Existing Tariff (Rs. Cr.)	2,672.47	2,725.66

The Commission has determined that NPCL will have a cumulative regulatory surplus of Rs 1166 Cr at the end of FY 2024-25. Accordingly no changes have been proposed in Tariff Rates/Regulatory discount vis-à-vis last year.

Salient features of Tariff Order for FY 2024-25:

The following are the salient features of the Tariff Order for the FY 2024-25 of NPCL:

i. There is no increase in Tariff payable by any consumer category.
ii. The Consumers of NPCL will continue to get a 10% Regulatory Discount.
iii. To promote Open Access, the Cross Subsidy Surcharge (CSS) has been capped at CSS determined in FY 2023-24.
iv. Green Tariff has been reduced from Rs. 0.44/unit in FY 2023-24 to Rs. 0.36/unit in FY 2024-25.
v. Most categories of consumers can use their existing connections for EV charging. Request of Department of Urban Transport has been accepted to enable them to avail single part tariff applicable to Public Charging Stations.
vi. To address complaints from residents with regard to overcharging by Single Point connection holders in Multi Storied Buildings/ Colonies and bring in transparency, the Commission has made procedural provisions for disclosure of billing information and introduced penal provisions on Single Point Franchisee in case of non-compliance of directions.
vii. ToD time slots during Summers for applicable categories namely – LMV-6 and HV-2 have been amended keeping in view the revised average load curves.
viii. The Commission has allowed consumers with sanctioned load of 3kW to 5 kW to obtain three phase connection for availing better power supply.

ix. It has been clarified that the delivery of bills through email or WhatsApp or any other electronic means is permitted provided complete billing information is provided to consumers and bill is duly signed by an authorised representative.

x. The Commission has abolished charges of Rs 50 related to disconnection and reconnection of Smart Meters.

xi. In accordance with Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020, that in case of maximum demand exceeding the sanctioned load at least thrice in a financial year, the sanctioned load can be automatically increased by Licensee from the first billing cycle of next financial year and the basis of such revision shared with consumer.

xii. Government has taken a policy decision for giving benefit of HV-2 industrial category rates to certain categories of IT/ITeS industries. An enabling provision has been created to implement the policy decision of the Government.

The Commission, taking into consideration the consolidated gap / (surplus) position has approved the Rate Schedule of FY 2024-25.

The Tariff shall be in force after seven days from the date of publication by the licensee in at least two Hindi and two English daily newspapers.

The Tariff Order has been uploaded at www.uperc.org

Shailendra Gaur
Secretary